



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु०अ०सं०- 220/2022 धारा- 302,307,504 भा०द०सं० व 3(2)5,3(2)5ए एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अनुपम सिंह पुत्र बृजनरेश निवासी मलहेटा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए धारा 302/307 में सश्रम आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ प्रमोद कुमार
सिंह



पैरोकार- थाना मझगवां
का० सर्वेश